मुख्यमंत्री राहत कोष

••• बिहार •••

न्यासी पर्षद की 24वीं बैठक

दिनांक : 06–04–2026

कार्यवाही

<table>
<tr><th>क्र0 सं0</th><th>प्रस्ताव</th><th>न्यासी पर्षद का निर्णय</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>विगत बैठक की कार्यवाही की सम्पुष्टि।</td><td>कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>विगत बैठक की कार्यवाही का अनुपालन प्रतिवेदन।</td><td>प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>मुख्य मंत्री राहत कोष की लेखा में प्राप्त राशि, वितरित राशि एवं शेष जमा राशि के प्रतिवेदन का उपस्थापन।</td><td>सूचना ग्रहण की गयी।</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>दिनांक 12.06.2016 को विश्व बाल श्रम उन्मूलन दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा के आलोक में श्रम संसाधन विभाग, पटना द्वारा बाल श्रम से विमुक्त हुए/कराये जा रहे बच्चे जिनका विवरण Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज हो, को 25,000/–रू0 प्रति बाल श्रमिक की दर से सहायता राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से उपलब्ध करायी जाती है।

इसी क्रम में दिनांक 07.12.2024 को मुख्यमंत्री राहत कोष के न्यासी पर्षद की 23वीं बैठक में लिये गये निर्णयानुसार वैसे किशोर जिन्होंने 14 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, परन्तु उनकी आयु 18 वर्ष से कम हो और जिनका विवरण CLTS में दर्ज हो, को भी 6–14 वर्ष के विमुक्त कराये गये बाल श्रमिकों की तरह मुख्यमंत्री राहत कोष से 25,000/–रू0 की सहायता राशि प्रति किशोर उपलब्ध कराया जाना है।

वर्ष 2022–23, 2023–24 एवं 2024–25 के लिए श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधियाचना के आलोक में कुल 86.00 लाख मात्र की राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से विमुक्त की गयी है।

इसकी सूचना न्यासी पर्षद को दी जाती है।</td><td>सूचना ग्रहण की गयी।</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>दिनांक 22.05.2020 को न्यासी पर्षद की 20वीं बैठक में ए0ई0एस0 (Acute Encephalitis Syndrome) से प्रभावित बिहार के विभिन्न जिलों में मृत बच्चों के माता–पिता/अभिभावकों को मुख्यमंत्री राहत कोष से चार–चार लाख रूपये की दर से अनुग्रह अनुदान दिये जाने के निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी द्वारा प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–
<table>
<tr><th>क्र०सं०</th><th>जिला का नाम</th><th>मृतक की संख्या</th><th>स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि</th><th>स्वीकृत राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पूर्वी चम्पारण</td><td>1</td><td>471068/23.12.2024</td><td>4.00 लाख</td></tr>
<tr><td></td><td>कुल</td><td>1</td><td></td><td>4.00 लाख</td></tr>
</table>
इसकी सूचना न्यासी पर्षद को दी जाती है।</td><td>सूचना ग्रहण की गयी।</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>दिनांक 23.01.2018 को न्यासी पर्षद की 17वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में मुख्यमंत्री राहत कोष के लेखा का वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं 2024–25 के विशेष आंतरिक अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न संबंधी कार्यों के लिए निबंधित चार्टर्ड एकाउन्टेंट प्रभात रवि एण्ड एसोसिएट्स, पटना को कुल 60,500/–रू0 (साठ हजार पाँच सौ) मात्र का भुगतान किया गया है।

इसकी सूचना न्यासी पर्षद को दी जाती है।</td><td>सूचना ग्रहण की गयी।</td></tr>
</table>

7. दिनांक 18.10.2016 को न्यासी पर्षद की 16वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बाढ़ राहत शिविरों में लड़के एवं लड़कियों के जन्म पर क्रमशः 10,000/–रू० एवं 15,000/–रू० का भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त दिनांक 06.06.2023 को न्यासी पर्षद की 22वीं बैठक में लिये गये निर्णयाणुसार राहत शिविर में रह रहे लोगों के लिए बर्तन एवं वस्त्र आदि के क्रय हेतु प्रति व्यक्ति 1000/–रू० की अधिसीमा के अन्तर्गत भुगतान किया जाता है।

जिला पदाधिकारी लखीसराय, भोजपुर, दरभंगा एवं भागलपुर से प्राप्त अधियाचना के आलोक में भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	लखीसराय	471070/23.12.2024	8,44,500/–रू०
2.	भोजपुर		6,50,000/–रू०
3.	भोजपुर	470881/21.11.2025	19,35,000/–रू०
4.	दरभंगा	470049/16.01.2026	77,930/–रू०
5.	भागलपुर	470150/25.02.2026	3,11,640/–रू०
		कुल	**38,19,070/–रू०**

इसकी सूचना न्यासी पर्षद को दी जाती है।

सूचना ग्रहण की गयी।

8. दिनांक 01 अप्रैल 2016 के बाद से जहरीली शराब पीने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों/परिजनों को मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार से 4.00 लाख रू0 प्रति मृतक की दर से अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा तथा मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त प्रतिवेदनों के आलोक में भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	सारण	8	471069/23.12.2024	32.00 लाख
2.	बांका	1	471079/27.12.2024	4.00 लाख
3.	सिवान	6	470029/13.01.2025	24.00 लाख
4.	गोपालगंज	1		4.00 लाख
5.	भागलपुर	4		16.00 लाख
6.	कैमूर	2		8.00 लाख
7.	मुजफ्फरपुर	1		4.00 लाख
8.	सिवान	23	470050/20.01.2025	92.00 लाख
9.	बक्सर	6		24.00 लाख
10.	औरंगाबाद	4	470221/17.03.2025	16.00 लाख
11.	भागलपुर	1	470553/09.07.2025	4.00 लाख
12.	पश्चिम चम्पारण	7	470730/10.09.2025	28.00 लाख
	कुल	**64**		**256.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

9. दिनांक 15.12.2024 को मणिपुर में उपद्रवी हिंसा में बिहार के 2 मृतकों के आश्रितों को प्रति मृतक 2.00 लाख (दो लाख) रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान देने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी गोपालगंज से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गोपालगंज	2	470116/10.02.2025	4.00 लाख
	कुल	2		4.00 लाख

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

10. दिनांक 29.01.2025 को प्रयागराज महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो–दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गोपालगंज	4	470202/10.03.2025	8.00 लाख
2.	पश्चिम चम्पारण	1		2.00 लाख
3.	मुजफ्फरपुर	1		2.00 लाख
4.	सुपौल	1		2.00 लाख
5.	औरंगाबाद	2		4.00 लाख
6.	बाँका	1		2.00 लाख
7.	पटना	1		2.00 लाख
	कुल–	**11**		**22.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

11. दिनांक 16.02.2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो–दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	वैशाली	1	470203/10.03.2025	2.00 लाख
2.	पूर्वी चम्पारण	1		2.00 लाख
3.	समस्तीपुर	2		4.00 लाख
4.	मुजफ्फरपुर	1		2.00 लाख
5.	मधुबनी	1		2.00 लाख
6.	बक्सर	1		2.00 लाख
7.	नवादा	2		4.00 लाख
8.	सारण	1		2.00 लाख
9.	पटना	1		2.00 लाख
	कुल–	**11**		**22.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

12. दिनांक 21.05.2025 को दिल्ली के द्वारिका सेक्टर–23 के पास सड़क दुर्घटना में बिहार के 4 मृतकों के आश्रितों को प्रति मृतक 2.00 लाख (दो लाख) रू0 की दर से अनुग्रह अनुदान देने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गया	4	470471/13.06.2025	8.00 लाख
	कुल	**4**		**8.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

13. दिनांक 15.05.2025 को बिहार के बेगूसराय से दिल्ली जा रही बस में लखनऊ के मोहनलाल गंज के निकट आग लगने से बिहार के प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	सीतामढ़ी	2	470488/19.06.2025	4.00 लाख
2.	समस्तीपुर	2		4.00 लाख
3.	बेगूसराय	1		2.00 लाख
	कुल–	**5**		**10.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

14. दिनांक 30.06.2025 को तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के सीगची केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट होने की घटना में बिहार के प्रत्येक मृतक के परिजनों को दो–दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	घायल की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	रोहतास	4	0	470633/07.08.2025	8.00 लाख
2.	भोजपुर	3	0		6.00 लाख
3.	नवादा	1	0		2.00 लाख
4.	दरभंगा	1	3		3.50 लाख
5.	बक्सर	1	1		2.50 लाख
	कुल–	**10**	**4**		**22.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

15. दिनांक 15.08.2025 को पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्वी वर्धमान में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–19 पर हुई सड़क दुर्घटना में बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायलों को पचास–पचास हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

स्वीकृत।

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	घायल की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0 / तिथि	स्वीकृत राशि
1.	पूर्वी चम्पारण	11	33	470688 / 26.08.2025	38.50 लाख
2.		0	2	470908 / 04.12.2025	1.00 लाख
3.		0	1	470199 / 19.03.2026	0.50 लाख
	कुल–	**11**	**36**		**40.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

16. दिनांक–29.07.2025 को देवघर (झारखण्ड) में हुई सड़क दुर्घटना में बिहार के मृत कांवरियों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0 / तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गया	1	470729 / 10.09.2025	2.00 लाख
2.	वैशाली	1		2.00 लाख
3.	पश्चिम चम्पारण	1		2.00 लाख
4.	पटना	2		4.00 लाख
	कुल–	**5**		**10.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

17. दिनांक 22.01.2026 को छत्तीसगढ़ के ग्राम–बकुलाही स्थित रियल इस्पात एंड स्टील संयंत्र में हुये ब्लास्ट में बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये एवं घायलों को पचास–पचास हजार रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, गया से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	घायल की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0 / तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गया	7	1	470132 / 16.02.2026	14.50 लाख
	कुल–	**7**	**1**		**14.50 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

18. दिनांक 16.02.2026 को राजस्थान के भिवाड़ी स्थित खुशखेड़ा के केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है:–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0 / तिथि	स्वीकृत राशि
1.	पूर्वी चम्पारण	7	470159 / 26.02.2026	14.00 लाख
2.		1	470238 / 02.04.2026	2.00 लाख
	कुल–	**8**		**16.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

19. दिनांक–19.12.2025 को महाराष्ट्र के नागपुर में सोलर पैनल निर्माण फैक्ट्री में पानी की टंकी फटने से हुई दुर्घटना में बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारियों से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	गोपालगंज	1	470213/23.03.2026	2.00 लाख
2.	मुजफ्फरपुर	2		4.00 लाख
3.	पश्चिम चम्पारण	2		4.00 लाख
4.	पूर्वी चम्पारण	1		2.00 लाख
	कुल–	**6**		**12.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

20. दिनांक 18.03.2026 को मध्य प्रदेश के इंदौर में इलेक्ट्रीक कार के चार्जिंग प्वाइंट में शार्ट सर्किट से घर में लगी आग से बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, किशनगंज से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	किशनगंज	6	470239/02.04.2026	12.00 लाख
	कुल–	**6**		**12.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

21. दिनांक 23.03.2026 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने की घटना में बिहार के मृतकों के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, सहरसा से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	सहरसा	3	470240/02.04.2026	06.00 लाख
	कुल–	**3**		**06.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

22. दिनांक–31.03.2026 को नालंदा जिले के बिहारशरीफ स्थित शीतला देवी मंदिर में हुई भगदड़ में मृत श्रद्धालुओं के आश्रितों को दो–दो लाख रूपये अनुग्रह अनुदान दिये जाने की माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के आलोक में जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त अधियाचना के आधार पर भेजी गयी राशि की विवरणी निम्नानुसार है :–

क्र०सं०	जिला का नाम	मृतक की संख्या	स्वीकृत्यादेश सं0/तिथि	स्वीकृत राशि
1.	नालंदा	8	470241/02.04.2026	16.00 लाख
	कुल–	**8**		**16.00 लाख**

इसकी घटनोत्तर स्वीकृति न्यासी पर्षद से प्रार्थित है।

स्वीकृत।

23.	**अन्यान्य :–** माननीय मुख्यमंत्री के घोषणा के आलोक में बालश्रम से विमुक्त कराये गये बच्चों, जिनका विवरण Child Labour Tracking System (CLTS) में दर्ज है, को 25,000/–रू प्रति बाल श्रमिक की दर से पाँच वर्षों (2016–17 से 2020–21 तक) के लिए विमुक्त कुल 3500 बाल श्रमिकों हेतु मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल 8.75 करोड़ (आठ करोड़ पचहत्तर लाख) रूपये की सहायता राशि दी जा चुकी है। श्रम संसाधन विभाग के पत्र सं0–479, दिनांक 28.01.2026 द्वारा CLTS में दर्ज विमुक्त कराये गये कुल 700 बच्चों के लिए षष्ठम् किस्त के रूप में राशि 1.75 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त प्रयोजन हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में संभावित व्यय का आकलन कर श्रम संसाधन विभाग से प्रतिवेदन की मांग की जा सकती है। तदनुसार सदस्य सचिव को राशि विमुक्त करने हेतु प्राधिकृत किया जा सकता है।	स्वीकृत।

(अनुपम कुमार)
मुख्यमंत्री के सचिव–सह–सदस्य सचिव,
न्यासी पर्षद, मुख्यमंत्री राहत कोष, बिहार

ज्ञापांक–सा०–480/2013 (पार्ट–2)–470263**/मु०मं०स०, पटना, दिनांक –**13/04/2026

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, पटना।
2. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, पटना।
3. मुख्य सचिव, बिहार, पटना।
4. पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना।
5. अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना।
6. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
7. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना।
8. महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना।
9. सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।
10. सचिव, आपदा प्रबंधन, बिहार, पटना।
11. मुख्यमंत्री के सचिव का कोषांग, बिहार, पटना।

07/04/26
(अनुपम कुमार)
मुख्यमंत्री के सचिव–सह–सदस्य सचिव